Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 90-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 30, 2019 (JYAISTHA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2019

संख्या 22/22/2019 3टी० 1.– मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 67 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद जिलों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :–

निर्देश

गुरूग्राम और फरीदाबाद के नगर निगमों की सीमा के भीतर ऑटो रिक्शा संचालकों द्वारा प्रभार्य किराए तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार नियत किए जाते हैं :–

किराया :	₹12/– प्रथम एक किलोमीटर के लिए (मीटर डाउन होने पर) और उसके बाद ₹8/– प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर हेतु।
रात्रि शुल्क :	रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे के बीच किराए का 25 प्रतिशत।
प्रतीक्षा शुल्क :	₹30/– प्रति घंटा या उसका भाग (न्यूनतम 15 मिनट के लिए रूकने के लिए)।
सामान :	₹7.50/– अतिरिक्त सामान के लिए प्रभारित किए जाएंगे जबकि चालक/संचालक शॉपिंग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई धनराशि प्रभारित नहीं करेगा।

1. उपरोक्त किराए में सभी कर/पथकर इत्यादि सम्मिलित होंगे और ऑटो रिक्शा के संचालकों द्वारा कोई अन्य राशि प्रभारित नहीं की जाएगी और यात्रियों को ऑटो रिक्शा की पंजीकृत क्षमता के अनुसार ले जाया जाएगा।

2. किराया मीटर भारतीय मानक ब्यूरो मानकों/लेखा सूचना प्रणाली के अनुरूप डिजिटल मीटर होगा, जो नाप और तोल विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया हो और समयानुसार विधिवत जांचा गया हो।

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 30th May, 2019

No. 22/22/2019 3T1.— In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (1) of Section 67 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Governor of Haryana, hereby issues the following directions for the districts of Gurugram and Faridabad, namely :-

Directions

The fares chargeable by the operators of auto rickshaws within the limits of the Municipal Corporations of Gurugram and Faridabad are fixed as under with immediate effect:-

Fare:	₹12/- for first fall of 1 kilometer (upon downing the meter) and thereafter ₹8/- for every additional kilometer.
Night charges:	25% of the fare between 11:00 P.M. to 5.00 A.M.
Waiting charges:	₹30/- per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay).
Luggage:	₹7.50/- shall be charged as extra luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small suitcase.

1. The above fares shall be inclusive of all taxes/toll etc. and no other amount shall be charged by the operators of auto rickshaws and the passengers shall be carried as per the registered capacity of the auto rickshaws.

2. The fare meter shall be digital meter conforming to Bureau of Indian Standards/ Accounting Information System, certified by weight and measure department and duly calibrated in due course of time.

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

57104—C.S.—H.G.P., Chd.